

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र भुरटिया

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

भीमसिंह पुत्र जगसिंह जाति राजपूत
निवासी सउओं की ढाणी, भुरटिया
तहसील व जिला बाड़मेर।

1. प्रकाशसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. जगसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जातियान राजपूत
3. केसराराम पुत्र भीखाराम
4. चौथाराम पुत्र राजूराम
5. हनुराम पुत्र राजूराम
6. भूपाराम पुत्र हडुमानराम
7. ताजाराम पुत्र गिस्धरसिंह जातियान राईका
8. कुम्पसिंह पुत्र अगरसिंह
9. उगमसिंह पुत्र मंगलसिंह
10. लुणसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जातियान राजपूत निवासीयान भुरटिया तहसील व जिला बाड़मेर
11. तनसिंह पुत्र आम्बसिंह
12. सवाईसिंह पुत्र चुतरसिंह
13. लखसिंह पुत्र केशरसिंह जातियान राजपुत निवासी दूण्डा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-17/2020 दिनांक-11.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सऊओं की ढाणी, पटवार हलका भुरटिया, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 533 रकबा 286.06 बीघा, खसरा नम्बर 526 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 530 रकबा 19 बीघा, के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

दिनांक- 11/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6579-6582

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भुरटिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भीमसिंह पुत्र जगसिंह जाति राजपूत निवासी सउओं की ढाणी भुरटिया, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी प्रकाशसिंह पुत्र भंवरसिंह वगैराह जाति राजपूत/राईका निवासी भुरटिया/दूण्डा, तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर